/35065/2022

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– /xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017
देहरादून दिनांक 12 मई, 2022

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पब–2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 10 मई, 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा उप निर्वाचन–2022 हेतु **जनपद–चम्पावत में समाविष्ट 55–चम्पावत विधान सभा निवार्चन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रकिया संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों** को मतदान हेतु **दिनांक 31 मई, 2022 (मंगलवार)** को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 12-05-2022 18:43:59
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या–567 /xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व कार्यालयों में निर्दिष्ट तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. जिलाधिकारी, चम्पावत।
11. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड प्रदेश के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या– /xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017
देहरादून दिनांक 26 मई, 2022

शुद्धि पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–567/xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017 दिनांक 12 मई, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा उप निर्वाचन–2022 हेतु **जनपद–चम्पावत में समाविष्ट 55–चम्पावत विधान सभा निवार्चन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रकिया संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/ अर्द्ध–निकायों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों** को मतदान हेतु **दिनांक 31 मई, 2022 (मंगलवार)** को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत निर्देश समाविष्ट किये जाते हैं:–

(i) यदि कोई व्यक्ति जनपद चम्पावत की 55–चम्पावत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

2– शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– 614 /xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. गार्ड फाईल।

26.05.22
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– — /VIII-1/22–331(श्रम)/2002
देहरादून, दिनांकः 26 मई,2022

अधिसूचना

उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा– 11 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल जनपद चम्पावत की 55–चम्पावत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उपनिर्वाचन 2022 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 31.05.2022 (मंगलवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा–11 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो, तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यदि कोई व्यक्ति जनपद चम्पावत की 55–चम्पावत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत्त हों को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

3. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि–

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि **दिनांक 31.05.2022 (मंगलवार)** साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(ii) किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या 354 (1)/VIII-1/22–331(श्रम)/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड को इस निर्देश सहित प्रेषित कि आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।
6. उप निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. समस्त उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रवनीत चीमा)
अपर सचिव।

UO Labour

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून —248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) — 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) — 2713724

संख्या— 3124 /XXV — 90 /2022 देहरादून : दिनांक 26 मई, 2022

—: प्रेस नोट :—

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद चम्पावत की 55—चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन हेतु दिनांक 31 मई, 2022 को पूर्वान्ह 07:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे के बीच मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा—निर्देशों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में, मतदाताओं की सुविधा हेतु उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—567/xxxi (15) G / 22-10(सा.) / 2017 दिनांक 12 मई, 2022 एवं अधिसूचना संख्या—614/xxxi (15) G / 22-10(सा.) / 2017 दिनांक 26 मई, 2022 के द्वारा निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट—1881 की धारा—25 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एवं उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या—354/VIII-1 / 22-331 (श्रम) / 2002 दिनांक 26 मई, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा—शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा—11 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों) , समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध—निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों—दुकानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों/श्रमिकों को मतदान हेतु दिनांक 31 मई, 2022 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश/बंदी दिवस घोषित किया गया है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बंद रहेंगें।

2— यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि कोई व्यंक्ति जनपद चम्पावत की 55—चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है, तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वह संविदा पर ही कार्यरत हों, को भी दिनांक 31 मई, 2022 (मंगलवार) को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

अतः जनपद चम्पावत की 55—चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त निर्वाचकों से अनुरोध है कि, उक्तानुसार दिनांक 31 मई, 2022 (मंगलवार) को शासन द्वारा घोषित सवेतन सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

संख्या—3124/ XXV-90/2022 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त प्रेसनोट को दिनांक 27 मई, 2022 को प्रकाशित होने वाले राज्य के सभी समाचार पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।